

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

आदेश

बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत संविदा पदों पर विशेष सर्वेक्षण लिपिकों का नियोजन किया गया है। नियोजित विशेष सर्वेक्षण लिपिकों में से श्री अनुराग कुमार पासवान, पिता-रामकृपाल पासवान, ग्राम+पो0-चितविसराव, जिला-सिवान पिन-841239 को विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद पर नियोजित करते हुए भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय आदेश संख्या-10593 दिनांक-25.08.2020 द्वारा बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर में पदस्थापित किया गया है।

इन नियोजित कर्मियों के स्नातक प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थानों से कराया जा रहा है। श्री पासवान के साथ अन्य 06 संविदा कर्मियों के स्नातक प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु जय प्रकाश विश्वविद्यालय, सारण (छपरा) से इस कार्यालय के पत्रांक-4940 दिनांक-31.12.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के आलोक में उक्त विश्वविद्यालय के द्वारा अपने पत्रांक C/00671 दिनांक-08.06.2023 द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसमें इनके प्रमाण पत्र को False प्रतिवेदित किया गया है।

प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर निदेशालय पत्रांक-5415 दिनांक-03.07.2023 द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त करने के विरुद्ध श्री पासवान से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री पासवान द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा अंकित किया गया है कि टंकण एवं लिपिकीय भूल के कारण इनका सर्टिफिकेट False करार दे दिया गया है। साथ ही अंकित किया गया कि इनके प्रमाण पत्र को पुनः जांच करायी जाय।

इसी बीच विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं अपने पत्रांक- C/00730 दिनांक- 07.07.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्व में भेजे गये सत्यापन प्रतिवेदन का हवाला देते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व प्रेषित सत्यापन प्रतिवेदन में से दो संविदा कर्मियों का प्रमाण पत्र सही है।

संबंधित विश्वविद्यालय से परस्पर विरोधाभाषी सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के कारण भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक-6001 दिनांक-27.07.2023 द्वारा समाहर्ता, सारण से विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गये सत्यापन प्रतिवेदनों की जांच कराकर वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

सत्यापन प्रतिवेदन ससमय प्राप्त नहीं रहने के फलस्वरूप प्रस्तुत मामले की जांच हेतु निदेशालय के पत्रांक-8014 दिनांक-20.09.2023 द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0), सारण से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी(मु0), सारण ने अपने पत्रांक-184 दिनांक-11.11.2023 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उपरोक्त 07 संविदा कर्मियों में से 06 के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया है कि इन सभी कर्मियों के अंक पत्र के अंको में विश्वविद्यालय के अभिलेख में अंकित अंक तथा प्रस्तुत अंक पत्र में भिन्नता (हेर-फेर) है। प्रेषित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री पासवान के द्वारा नियोजन के समय समर्पित अंक पत्र में 84.75 प्रतिशत अंक अंकित है जबकि विश्वविद्यालय के अभिलेख में इनके अंक का प्रतिशत 52.28 है।

विश्वविद्यालय एवं बंदोबस्त कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि श्री पासवान के द्वारा नियोजन प्राप्त करने हेतु प्राप्तांक में बढ़ोतरी की गयी है, चूंकि इस पद पर नियोजन हेतु प्राप्तांक के आधार पर ही मेघा सूची तैयार किया जाना था, अतः अंक पत्र में हेर-फेर कर नियोजन प्राप्त किया गया है।

यद्यपि की श्री पासवान का संविदा नियोजन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में पूर्व में निदेशालय आदेश सं0-8666 दिनांक-27.10.2023 द्वारा समाप्त किया जा चुका है, परन्तु इनके द्वारा फर्जी अंक पत्र पर नियोजित रहते हुए सरकारी राशि प्राप्त की गयी है एवं सरकार/विभाग को धोखे में रखा गया है। इस परिपेक्ष्य में नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में "Term of Assignment" की कंडिका-4 में निहित प्रावधान के आलोक में प्राप्त की गयी राशि की वसूली एवं फर्जी अंक पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने एवं अन्य संगत आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश बन्दोबस्त पदाधिकारी, शिवहर को दिया जाता है।

Signed by Jai Singh

Date: 27-02-2024 10:50:03

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

प्रतिलिपि :-

1. श्री अनुराग कुमार पासवान, विशेष सर्वेक्षण लिपिक(SCL01862), बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर पिता-रामकृपाल पासवान, ग्राम+पो0-चितविसराव, जिला-सिवान पिन-841239, को सूचनार्थ प्रेषित।
2. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R में संधारित इनकी व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।